के नीति-निर्धारकों द्वारा बनाए गए थे। हम यहाँ पर सैद्धांतिक तथा शैक्षणिक संरचना की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इनकी चर्चा हमने अन्य इकाई में की है।

14.4.1 औपनिवेशिक सैन्य-तंत्र

औपनिवेशिक सेना का गठन वह तरीका था जो औपनिवेशिक शासन ने अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। इसका विकास बंगाल प्रेजीडेन्सी के निर्देशन में बंगाल सेना के गठन से शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती वित्तीय शक्ति ने, जो इसे एकाधिकार व्यापार से प्राप्त हुई और जो दीवानी का अधिकार या कर एकत्रित करने की शक्ति से और अधिक बढ़ी, इसे देशज राजाओं के माध्यम से सिपाही भाड़े में लेने के बजाय उनकी सीधी भर्ती कर उन्हें नियमित वेतन देने के लिए सक्षम बनाया। यूरोपीय शक्तियों ने कठोर निर्देशन और प्रशिक्षण के तहत एक साथ आक्रमण करने वाली पैदल सेना का इस्तेमाल शुरू किया। इस प्रकार की एकजुट, सुनियोजित बंदूकधारी सेना काफी प्रभावशाली साबित हुई। पर इस प्रकार की सेना के गठन के लिए व्यवसायिकरण आवश्यक था अर्थात सिपाहियों को युद्ध के मैदान में एकसूत्र में बंधे रह कर सुनियोजित रूप से काम करने के लिए उन्हें व्यवसायिक रूप में तैयार करना और इसके लिए सिपाहियों को लम्बे समय तक अनुशासित और प्रशिक्षित करना या सेना का नागरिक समाज से अलग रहना ज़रूरी था। कठोर अनुशासन में सेना की कवायद, परेड और युद्धाभ्यास केवल प्रदर्शन मात्र नहीं थे बल्कि इस प्रकार के व्यवसायिक सिपाहियों की पैदल-सेना को तैयार करने के तरीके थे। इस प्रकार के व्यावसायीकरण के लिए नियमित वेतन के भुगतान और सुरक्षा और सम्मलित करने की व्यवस्था, सेना में सेवा अवधि से जुड़ी पदोन्नति और लम्बे समय तक काम करने वाले सिपाहियों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी जरूरी थी। ब्रिटिश ने सैन्य-संगठन मे भारतीय समाज में मौजूद भाषा और जाति-विभेदों का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने सामाजिक तौर पर पृथक अंतर्मुखी समूह तैयार किए जो अपनी रेजीमेंट तक ही सीमित थे तथा समाज से अलग थे। सिपाहियों को कम्पनी और बटालियनों में बाँटा गया और निम्न इकाई के स्तर पर उनका निर्देशन उनके अपने सामाजिक वर्ग के भारतीय अफसरों ने ही किया।

ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेन्सी की सेनायें शामिल थीं लेकिन प्रत्येक का आंतरिक संगठन और व्यावसायीकरण का स्तर अलग-अलग था। बंगाल सेना के सिपाही मुख्यतः बिहार और अवध की उच्च जातियों (ब्राह्मण और क्षत्रिय) से भर्ती किये जाते थे। उन्होंने अपने "सैन्य गाँवों" में भी गाँव और जाति के रिश्तों को बनाए रखा। उनके अपने मूल गाँवों से रिश्ते कमजोर पड़ गये पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। मद्रास और बम्बई की सेनाओं में पंजाब, अवध और राजपूताना से सभी वर्गों और जातियों से भर्ती की गई। अंग्रेज-मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के बाद काफी संख्या में मराठा सैनिक भी ब्रिटिश सेना में शामिल किए गए। यद्यपि ये सेनाएँ विभिन्न जाति समूहों तथा जातियों से बनी थी लेकिन ये व्यावसायिक आधार पर भी संगठित थी। ये नागरिक समाज से अलग-थलग रहीं और अपनी रेजीमेंट के लिए ये गर्व महसूस करते थे। इन सेनाओं ने वफादार व्यवसायिक सैनिकों की तरह 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासकों की मदद की। ब्रिटिश सेनाओं ने खाद्यान्नों का संचय किया ताकि सेना बिना संसाधनों की कमी के गतिशील बनी रहें और उन्हें लूट-पाट का सहारा न लेना पड़े। औपनिवेशिक राज्य ने प्रारंभ से ही कोशिश की कि भारतीय शासकों को इस प्रकार की व्यवसायिक सेना का गठन करने के लिए संसाधन प्राप्त न हो सके। राजसी राज्य व्यवस्थाओं के क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का सिद्धांत लागू किया गया जहाँ उत्तराधिकार संभव नहीं था। भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय सैन्य बल को तथा अर्ध सैन्य बलों को समाप्त करना था ताकि भारतीय राज्यों में असैन्यीकरण संभव हो सके।

सन् 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक सैन्य संगठन में कुछ सुधारों की जरूरत महसूस की गई। रॉयल पील कमीशन ने वह अनुपात निर्धारित किया – जिसके तहत ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिक